



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 847) पटना, बुधवार, 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 136, दिनांक 22 जुलाई 2026— मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 51 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ संहिता की धारा 51 की उपधारा 6 के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए निरीक्षक-सह-सुकारक नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	श्रमायुक्त, बिहार	सम्पूर्ण बिहार
2	सभी जिलाधिकारी	जिलों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत
3	अपर श्रमायुक्त, बिहार	सम्पूर्ण बिहार
4	सभी संयुक्त श्रमायुक्त	सम्पूर्ण बिहार
5	मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार	सम्पूर्ण बिहार (केवल कारखानों के लिए एवं संहिता के अध्याय- IV को छोड़कर)
6	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
7	उप श्रमायुक्त, गया	गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
8	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई

9	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
10	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
11	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
12	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
13	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
14	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
15	उप श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज
16	सहायक श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर
17	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर	रोहतास, कैमूर, बक्सर
18	सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, वैशाली
19	सहायक श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज
20	सहायक श्रमायुक्त, गया	गया, नवादा
21	सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
22	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
23	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया
24	सहायक श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
25	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई,
26	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर
27	सहायक श्रमायुक्त, बेगूसराय	खगड़िया, बेगूसराय
28	सहायक श्रमायुक्त, औरंगाबाद	औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल
29	श्रम अधीक्षक अधिनियम	पटना, गयाजी, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णियाँ, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण
30	श्रम अधीक्षक	नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीवान, गोपालगंज
31	सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत (केवल कारखानों के लिए एवं संहिता के अध्याय- IV को छोड़कर)
32	सभी कारखाना निरीक्षक	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत (केवल कारखानों के लिए एवं संहिता के अध्याय- IV को छोड़कर)
33	सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं के अन्तर्गत (कारखानों एवं संहिता के अध्याय-IV को छोड़कर)

2. सभी निरीक्षक-सह-सुकारक अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/Code on Wages-10-01/2025-130/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 137, एस० ओ० 136 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/Code on Wages-10-01/2025-131/अ०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

उपेन्द्र प्रसाद,

सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

S. O. 136, dated 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 51 of the Code on Wages, 2019 (Act No. 29 of 2019), the Governor of Bihar is pleased to appoint for the purposes of the Code as **Inspector-cum-Facilitators** to exercise the powers conferred under sub-section (6) of Section 51 of the Code, in relation to such establishments situated within the areas specified in column (3) against the officers mentioned in column (2) of the Schedule given below, for which the State Government is the appropriate Government.

Table

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Labour Commissioner, Bihar	Whole Bihar
2	Additional Labour Commissioners	Whole Bihar
3	Joint Labour Commissioners	Whole Bihar
4	Chief Inspector of Factories, Bihar	Whole Bihar (For factories only and except chapter IV of the Code)
5	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
6	Deputy Labour Commissioner, Gaya	Gaya, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
7	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
8	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
9	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
10	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
11	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
12	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
13	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
14	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
15	Assistant Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur
16	Assistant Labour Commissioner, Dalmiyanagar	Rohtas, Kaimur, Buxar
17	Assistant Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, East Champaran, Vaishali
18	Assistant Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj
19	Assistant Labour Commissioner, Gayaji	Gaya, Nawada
20	Assistant Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
21	Assistant Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
22	Assistant Labour Commissioner, Katihar	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
23	Assistant Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
24	Assistant Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
25	Assistant Labour Commissioner, Betia	West Champarn, Sitamarhi, Sheohar,
26	Assistant Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
27	Assistant Labour Commissioner, Aurangabad	Aurangabad, Jehanabad, Arwal,
28	Labour Superintendent Act	Patna, Gayaji, Munger, Bhagalpur, Saharsa, Purnia, Darbhanga, Muzaffarpur, Saran
29	Labour Superintendent	Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada, Lakhisarai, Sheikhpura, Jamui, Begusarai, Khagaria, Banka, Supaul, Madhepura, Araria, Katihar, Kishanganj, Madhubani, Samastipur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champaran, Siwan, Gopalganj
30	All Deputy Chief Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction (For factories only and except chapter IV of the Code)
31	All Inspector of Factories	within the limits of its jurisdiction (For factories only and except chapter IV of the Code)

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
32	All Labour Enforcement Officer	within the limits of its jurisdiction (Except factories and chapter IV of the Code)

2. All Inspector-cum-Facilitators shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.
3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette..

(No. 01/Code on Wages-10-01/2025-130/ L.R.)

By The order of the Governor of Bihar,

Upendra Prasad,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 847-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>